पत्र संख्या–वन भूमि–32/2019–2874 च०प०

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची–834002

राँची, दिनांक– 30.7.19

विषय :– बीराटोली–टोरी से महुआमिलान में रेल फ्लाई ओवर निर्माण हेतु 1.278 हे0 अधिसूचित वनभूमि एवं 1.259 हे0 जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) कुल–2.537 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–697 दिनांक–24.06.2019 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–1295 दिनांक–08.07.2019 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान करना होगा।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) विषयक वनभूमि पर किए गए उल्लंघन के विरूद्ध Handbook of Guidelines की कंडिका–1.21 के आलोक में दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे।

(v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/7/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

कृ0प0उ0

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

ज्ञापांक–वन भूमि–32 / 2019– 2874 व०प०, राँची, दिनांक– 30.7.19

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

29/7/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–32 / 2019– 2874 व०प०, राँची, दिनांक– 30.7.19

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / सहायक अभियंता (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग, कनेरी हिल रोड, डिपुगढ़ा, झारखण्ड–825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 2.537 ha of Forest Land for Construction of Biratoli-Tori ROR(Flyover) Line Connection and Biratoli-Mahuamilan (Surface Line) Connection for Connectivity of Three Line of The New BG Line Between Tori & Shivpur.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 2.537 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no-...2874... dated-...30.7.19...

Signature:

Name & Designation: Sunil Kumar

(O.S.D)

Forest, Environment & Climate

Change Department,

Jharkhand Ranchi.

Officer on Special Duty
Forest, Environment & Climate
Change Department, Jharkhand

(Official Seal)

Date: 30/07/2019

Place: Ranchi